बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संचिका संख्या :FSC/180/2018-...../स्वा० पटना/दिनांकः– .....

आदेश

भारतीय खाद्य सरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विहार राज्य को 05 चलत खाद्य प्रयोगशाला वाहन उपलब्ध कराया गया है, जिसके द्वारा खाद्य पदार्थो की जॉच, खाद्य व्यापारियो का प्रशिक्षण एवं जन–जागरूकता संबंधी कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। उक्त 05 वाहनो मे से 01 वाहन पटना प्रमंडल अन्तर्गत संयुक्त खाद्य एव औषधि प्रयोगशाला, अगमकुऑ, पटना–07 को तथा 04 चार चलंत खाद्य प्रयोगशाला वाहन विभाग स्तर से निम्नवत् प्रमंडलवार आवटित है :–

क्रम सख्या	आवंटित प्रमंडल	संबंद्ध जिला
1	भागलपुर प्रमंडल	भागलपुर, बांका एवं मुंगेर
2	तिरहुत प्रमंडल (मुजफ्फरपुर)	मुजफ्फरपुर, सीतामढी, शिवहर, वैशाली, पूर्वी चपारण, पश्चिमी चंपारण एव सारण
3.	पूर्णियॉ प्रमंडल	पूर्णियॉ, किशनगज, कटिहार एवं अररिया
4	मगध प्रमडल (गयाजी)	गयाजी, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद एव अरवल

2 पटना प्रमडल (पटना) अन्तर्गत आवटित चलंत खाद्य प्रयोगशाला वाहन एव 04 प्रमडलीय मुख्यालय जिलो को आवंटित चलंत खाद्य प्रयोगशाला वाहन का सचालन नियमित रूप से सर्वे खाद्य नमूना के विश्लेषण एवं जन–जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन हेतु किया जाना है। लेकिन वर्त्तमान मे विभाग को प्राप्त सूचनानुसार आवश्यक तकनीकी मानवबलो एव चालक की कमी के कारण चलत खाद्य प्रयोगशाला वाहन का सचालन नही हो रहा है।

3 जिलो से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में चलत खाद्य प्रयोगशाला वाहनों के नियमित सचालन हेतु आवश्यकता आधारित तकनीकी मानवबलो तथा वाहन चालको की सेवा आउटसोर्स के आधार पर उपलब्ध कराने हेतु प्रबंध निदेशक, बी०एम०एस०आई०सी० एल०, पटना से अनुरोध किया गया था। तदालोक में निगम से प्राप्त सूचनानुसार बी०एम०एस०आई०सी० एल०, पटना द्वारा जिलावार आवंटित एजेन्सी के माध्यम से चलत खाद्य प्रयोगशाला का संचालन पूर्णतः आउटसोर्स के आधार पर कराये जाने का निर्णय विभाग स्तर पर लिया गया है।

4 उक्त विभागीय निर्णय के आलोक मे प्रभारी पदाधिकारी, सयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुऑ, पटना, असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गयाजी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर एव पूर्णियॉ के पर्यवेक्षण में अभिहित अधिकारी, गयाजी, भागलपूर, मुजपफरपूर एव पूर्णियॉ को निदेशित है कि निगम के पत्रांक–10330, दिनाक–28 02 2024 के आलोक मे संबधित जिलो हेतु चयनित मानव प्रदाता एजेन्सियो से अनुबध कर, निम्नवत् अर्हत्ता एवं निर्धारित मानदेय के अनुसार आवश्यकता आधारित तकनीकी मानवबलों तथा वाहन चालकों की सेवा आउटसोर्स के आधार पर लेना सुनिश्चित करेंगे :–

Scanned with OKEN Scanner

क्रम संख्या	पद का नाम	आवश्यक मानवबल प्रति वाहन	शैक्षणिक अर्हता (As per FSSAI Guidelines)	निर्धारित मान
1	Technical Officer	01	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या बॉयो केमिस्ट्री या माइक्रोबॉयोलॉजी या डेयरी केमिस्ट्री या फुड टेक्नोलोजी या फुड एण्ड न्यूट्रिशन में मास्टर्स डिग्री अथवा डेयरी/ऑयल मे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी अथवा वेटनरी साइन्स मे डिग्री अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एव अधिसूचित ऐसे प्रयोजनार्थ कोई अन्य समकक्ष अर्हता।	30,000/– प्रतिमाह
2.	खाद्य विश्लेषक	01	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक डिग्री के साथ–साथ कम से कम दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव या रसायन विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, डेयरी रसायन विज्ञापन, खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य एव पोषण मे स्नातकोत्तर डिग्री, या किसी विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान मे डिग्री या मान्यता प्राप्त एव अधिसूचित ऐसे प्रयोजनार्थ कोई अन्य समकक्ष अर्हता।	25,000/– प्रतिमाह
3.	सहायक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	01	कम–से–कम विज्ञान मे इन्टरमीडिएट या उससे उपर मुख्य विषय के रूप मे विज्ञान होना चाहिए।	18,000/– प्रतिमाह
4	वाहन चालक	01	वैद्य वाणिज्यिक ड्राइविग लाईसेंस के साथ कम–से–कम मैट्रिकुलेट	20,000/– प्रतिमाह

Scanned with OKEN Scanner

निर्धारित मानदंड

5 **कर्मियों का प्रशिक्षण** – तकनीकी कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य सयुक्त खाद्य प्रयोगशाला, अगमकुआँ, के प्रभारी पदाधिकारी एव खाद्य विश्लेषकों द्वारा सयुक्त खाद्य एव औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना मे किया जायेगा, ताकि वे FSSAI के मानको के अनुरूप खाद्य पदार्थों का विश्लेषण एवं खाद्य व्यापारियो का प्रशिक्षण आयोजित करा सके।

6. **वाहन का संचालन** :– उक्त चलत खाद्य प्रयोगशाला वाहनों को महीना मे 25 दिन अर्थात् वर्ष मे 300 दिन निम्नवत् कार्यक्रम के अनुसार संचालित कराया जायेगा –

क्रम सख्या	आयोजित किये जाने वाले कार्य	निर्धारित लक्ष्य प्रति माह/प्रति वाहन
1	खाद्य नमूनो का जॉच/विश्लेषण	200
2.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	10
3	जन–जागरूकता कार्यक्रम	10

उक्त निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वाहनो का संचालन सबधित जिला के अभिहित अधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, सयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, पटना द्वारा कराया जायेगा। वाहन के संचालन के दौरान खाद्य सरक्षा से संबंधित Branding एव Signage वाहन के वाहर प्रदर्शित किया जायेगा।

7. **प्रतिवेदन प्रेषित करने की कार्रवाई** – चलत खाद्य प्रयोगशाला वाहन द्वारा आयोजित कराये जाने वाले सभी प्रकार के गतिविधियो से संबंधित मासिक प्रतिवेदन FSSAI, नई दिल्ली के ऑनलाईन पोर्टल (fsw.fssai.gov in) पर अपलोड करने की कार्रवाई सबधित जिला के अभिहित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा एवं प्रत्येक माह के 05 तारीख तक विहित प्रपत्र मे भी रिपोर्ट FSSAI के email ID labs@fssai.gov.in. पर एव खाद्य सरक्षा आयुक्त कार्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

8. **कर्मियों पर नियंत्रण एवं मानदेय भुगतान की व्यवस्था** :– चलंत खाद्य प्रयोगशाला वाहन पर प्रतिनियुक्ति सभी तकनीकी कर्मी/चालक सबंधित जिला के अभिहित अधिकारी के नियत्रण मे कार्य करेगे तथा अभिहित अधिकारी द्वारा निर्गत अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर मानदेय का भुगतान प्रभारी पदाधिकारी, सयुक्त खाद्य खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना तथा सबधित प्रमडल के अभिहित अधिकारी के कार्यालय द्वारा किये गये अनुशसा/सत्यापन के आधार पर खाद्य सरक्षा आयुक्त कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

9 **वाहन के संचालन, रख–रखाव, मरम्मति एवं मानदेय के भुगतान हेतु राशि की व्यवस्था** :– चलंत खाद्य प्रयोगशाला वाहन के सचालन, रख–रखाव, मरम्मति हेतु सबधित जिला के अभिहित अधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, संयुक्त खाद्य एव औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना को प्राधिकृत किया जाता है। वित्तीय वर्ष–2026–27 मे चलत खाद्य प्रयोगशाला वाहन के संचालन हेतु MOU–2026–27 के अतर्गत 10,000,00/–(दस लाख) रूपये प्रति वाहन की दर से 05 वाहनों के लिए कुल–50,00,000/–(पचास लाख) रुपये का प्रावधान करते हुये खाद्य सरक्षा आयुक्त कार्यालय द्वारा कार्ययोजना तैयार कर भारतीय खाद्य सरक्षा एव मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है। उक्त राशि का उपयोग चलंत खाद्य वाहन के सचालन हेतु आउटसोर्स के आधार पर मानवबलों की नियुक्ति व मानदेय के भुगतान, ईंधन एव रसायन की आपूर्त्ति तथा वाहनो के रख–रखाव व मरम्मति पर किया जायेगा। यदि पूर्व के वित्तीय वर्षों या वर्त्तगान वित्तीय वर्ष मे उक्त चलत खाद्य प्रयोगशाला वाहनो

Scanned with OKEN Scanner

के रख रखाव मरम्मति एवं ईंधन पर किसी भी प्रकार का व्यय संबंधित [illegible] सक्षम प्रभारी पदाधिकारी, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना– 07 द्वारा किया गया है, जो तत्समय विभाग खाद्य सुरक्षा आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। इसके भुगतान की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से किया जायेगा।

10 उक्त चलत खाद्य प्रयोगशाला वाहन का संचालन वित्तीय वर्ष–2026–2027 तक लागू रहेगी।

11 उक्त के अतिरिक्त चलत खाद्य प्रयोगशाला वाहन के संचालन के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी विभागीय आदेश इस हद तक संशोधित/उत्क्रमित समझा जायेगा। उक्त विभागीय आदेश के अनुपालन मे किसी भी प्रकार की संशय की स्थिति मे विभागीय सचिव, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

12 उपरोक्त प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

13 यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

ह०/–

(धनंजय कुमार)
सरकार के अपर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– ...415(15B)..... पटना/दिनांक – ...16/10/....2026

प्रतिलिपि माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि सचिव, स्वास्थ्य –सह– खाद्य सुरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बी०एम०एस०आई०सी०एल०, पटना/संबंधित विभागीय पदाधिकारी/प्रशाखा–15वी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, मगध प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, पूर्णियाँ प्रमंडल एवं भागलपुर प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभारी पदाधिकारी/सभी खाद्य विश्लेषक, संयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला, अगमकुआँ, पटना– 07 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारी/सभी सहायक अभिहित अधिकारी, सभी प्रभारी अभिहित अधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/10/26
सरकार के अपर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

Scanned with OKEN Scanner